ई0 पत्रावली संख्या–29233

संख्या– /उन्तीस(2)/2025–2(123पे0)/2011

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक नवम्बर, 2025

विषयः– सीवरेज शोधन संयत्र एवं सीवरेज योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव कार्यो हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4780/वि0अनु0/02/शा0अनु0/2025–26 दिनांक 13.10.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के अनुरक्षणाधीन सीवरेज शोधन संयत्र एवं सीवरेज योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में आय–व्यय में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में **₹ 600.00 लाख (₹ छः करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii) **स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से एकमुश्त न करते हुए यथा आवश्यकतानुसार किया जायेगा।** साथ ही आगामी प्रस्ताव में जल संस्थान की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु किये गये रिफार्म से आय पर पड़ने वाले प्रभाव को विगत दो वर्षों के आंकड़ों सहित प्रस्तुत करेंगे।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iv) योजनावार/कार्यवार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक योजना का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार विवरण यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा योजना पर व्यय पूर्ण पारदर्शिता के साथ एवं योजना में डुप्लीकेसी की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(vi) उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि को अनुरक्षित योजनाओं हेतु योजनावार आवंटित करते हुए व्यय योजनाओं की अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जायेगा। योजना हेतु अनुमोदित लागत से अधिक का आवंटन कदापि न किया जाय।

(vii) उक्तानुसार अनुरक्षित योजनाओं पर धनावंटन/व्यय करने के निमित योजना की स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश में निहित अन्य समस्त शर्तो/मानकों यथालागू का

अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2215–जलपूर्ति तथा सफाई–02–मल निकासी एवं सफाई–107–मल निकासी सेवाएं–02–सीवरेज शोधन सयंत्र एवं सीवरेज योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव के लिए अनुदान–00–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को संलग्न कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक–I/346438/2025 दिनांक 20.11.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि

Digitally signed by Apurva Pandey
Date: 24-11-2025 22:08:31

भवदीया,

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव।

पृ0सं0– (1)/उन्तीस(2)/2025–2(123पे0)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
9. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(डी0एम0एस0 राणा)
संयुक्त सचिव।